सं.14/4/2015-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 24 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 9 अक्तूबर, 2015 को आयोजित चौथी बैठक (2015 श्रृंखला) की कार्यसूची भेजने के संबंध में।

मुझे ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 09 अक्तूबर, 2015 को प्रात: 11.00 बजे, कक्ष संख्या पर, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने के लिए निर्धारित चौथी बैठक (2015 श्रृंखला) की कार्यसूची की मदों की एक प्रति इसके साथ भेजने का निदेश हुआ है।

2. कृपया अपनी सुविधानुसार बैंकों में उपस्थित होने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोपरि

ह0/-
(जी. श्रीनिवासन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**
2. **सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय**
3. **सीबीडीटी [सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय**
4. **डीजीएफटी**
5. **संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**
6. **संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
7. **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8. **सभी विकास आयुक्त**

प्रतिलिपि : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीपीएम) के निजी सचिव/निदेशक (एमवी) के निजी सचिव।

ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 01.10.2015 को प्रात: 11.00 बजे आयोजित होने के लिए निर्धारित चौथी बैठक (2015 श्रृंखला) की कार्यसूची

4.1(15) बीओए की दिनांक 27.08.2015 को आयोजित की गई तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) के कार्यवृत्त की पुष्टि

4.2(15) रायगढ़, महाराष्ट्र स्थित मैसर्स इनोवासिंथ टेक्नालोजीज (इंडिया) लिमिटेड – सीप्ज के अंतर्गत स्थित मौजूदा डीटीए को ईओयू में सम्परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

आवेदक कंपनी ने सिटी सर्वे संख्या 1774, पुराना मुंबई पुणे रोड खपोली, खालापुर तालुका, जिला रायगढ़ स्थित कंपनी में संलग्न सूची के अनुसार रसायनों का विनिर्माण करने के लिए मौजूदा डीटीए यूनिट को ईओयू में सम्परिवर्तित करने हेतु एलओपी देने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

खपोली संभाग के उपायुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने प्रस्तावित फैक्टरी परिसर की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि परिसर स्वामित्व के अधीन है। परिसर/भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा धारा 58 और 65 के अंतर्गत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है।

संयंत्र एवं मशीनरी में मौजूदा निवेश एवं प्रस्तावित निवेश क्रमश: 5532.32 लाख रुपये एवं 950 लाख रुपये है।

आवेदक कंपनी का वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए निर्यात कारोबार क्रमश: 4832.87 लाख रुपये, 4949.33 लाख रुपये और 6699.20 लाख रुपये है।

विदेश व्यापार नीति के संगत प्रावधान : पैरा 6.07 में उल्लेख है कि :

"संयंत्र एवं मशीनरी में 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश तथा वार्षिक रूप से 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निर्यात करने वाली कंपनियों को डीटीए इकाइयों से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी कंपनियों में सम्परिवर्तन के लिए आवेदन को निर्णयार्थ अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।"

विकास आयुक्त की संस्तुति : आवेदक कंपनी ईओयू की स्थापना किए जाने के लिए प्रावधान पूरा करती है और विकास आयुक्त ने यह सिफारिश की है कि यूनिट के इस रिपोर्ट पर विचार किया जा सकी है।

4.3 (15) सीप्ज के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ईओयू मैसर्स पेरिगो एपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स पेरिगो लैबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच संसाधनों एवं सेवाओं की भागीदारी के लिए प्रस्ताव

मैसर्स पेरिगो लैबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स पेरिगो एपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं को शेयर करने का अनुरोध किया है।

मैसर्स पेरिगो एपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थाणे-1 को कार्बनिक रसायनों का विनिर्माण करने एवं उनका निर्यात करने तथा सर्वे संख्या एन/39 और एन/39-1, एमआईडीसी, अतिरिक्त अम्बर नाथ इंडस्ट्रियल एरिया, अम्बरनाथ (पूर्व), जिला थाणे पर (ख) सक्रिय फार्मास्युटिकल अंतर्वस्तुओं का अनुसंधान एवं विकास करने के लिए दिनांक 06.12.2006 को एलओपी जारी किया गया था।

मैसर्स पेरिगो लैबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, थाणे-1 को सर्वे संख्या एन/39 और एन 39-1, एडीशनल एमआईडीसी, आनंद नगर, अम्बरनाथ (पूर्व) जिला थाणे में फार्मुलेशन्स का अनुसंधान एवं विकास करने, सॉलिड डोजेज फार्म्स के लिए स्टैबिलिटी अध्ययन करने और सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के लिए प्रायोगिक बैच्स तैयार

करने, उनका विनिर्माण एवं निर्यात करने के लिए दिनांक 23.07.2014 को एलओपी जारी किया गया था।

मैसर्स पेरिगो एपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स पेरिगो लैबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लागत एवं सेवा करार शेयर किया है।

शेयर किए जाने के लिए प्रस्तावित सेवाएं निम्नलिखित हैं :

(i) **यूटिलिटीज – सेंट्रलाइज्ड पावर यूटिलिटीज (केवल डीजी सेट के माध्यम से), पानी की आपूर्ति, गर्म पानी की आपूर्ति, संपीड़ित हवा, ठंडी हवा या अन्य उपयोगिता जिसे पेरिगो प्रयोगशालाओं द्वारा अनुरोध किया जा सकता है और एपीआई द्वारा पेरिगो प्रयोगशालाओं को प्रदान किया जा सकता है।**

(ii) **सेवाएं – प्रयोगशाला परीक्षण और विश्लेषणात्मक सेवाएं, आईटी रखरखाव, हेल्पडेस्क सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, सुरक्षा, हाउसकीपिंग, लांडरी, कीट नियंत्रण, रखरखाव लैंडस्केपिंग, निस्सारी उपचार, खतरनाक, अपशिष्ट निपटान, बीमा या कोई अन्य सेवा जिसका पेरिगो लैब्स द्वारा अनुरोध किया जा सकता है और एपीआई द्वारा पेरिगो प्रयोगशालाओं को प्रदान किया जा सकता है।**

(iii) **सुविधाएं – कैफेटेरिया, कर्मचारी परिवहन, प्रशिक्षण या किसी भी अन्य सुविधा जिसे पेरिगो प्रयोगशालाओं द्वारा अनुरोध किया जा सकता है और एपीआई द्वारा पेरिगो प्रयोगशालाओं को प्रदान किया जा सकता है।**

(iv) **एचआर, वित्त और अन्य संसाधन – पेरिगो लैब्स के समान कार्यों का प्रबंधन करने के लिए।**

(v) **पेरिगो लैब्स द्वारा अनुरोध की गई और एपीआई द्वारा पेरिगो प्रयोगशालाओं को प्रदान की गई कोई अन्य सेवाएं/सहायता।**

इकाई ने यह भी कहा कि वे वित्त अधिनियम, 1944 के अध्याय V और उसके नियमों के संदर्भ में संसाधनों के शेयरिंग पर देय सेवा कर को निर्वहन करने की प्रतिबद्धता करते हैं।

मैसर्स पेरिगो एपीआई इंडिया प्राइवेट के बुनियादी ढांचे को मैसर्स पेरिगो लैबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा साझा करने का प्रस्ताव को 08.08.2015 को आयोजित बैठक में यूएसी के समक्ष रखा गया था। समिति ने बीओए को प्रस्ताव की सिफारिश की।

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान : संसाधन साझा करने की सुविधा एफटीपी 2015-20 के पैरा संख्या 6.12 (जी) में पेश की गई है जो बताती है कि :

"इकाइयों की स्वीकृति समिति ईओयू के बीच आधारभूत सुविधाओं को साझा करने के लिए केस-टू-केस आधार पर विचार कर सकता है और यह अनुमोदन बोर्ड को इसके विचार के लिए अपनी सिफारिशें भेजेगी। इन प्रस्तावों को स्वीकार करते समय, इकाइयों के एनएफई दायित्वों को बदला नहीं जाएगा। इस तरह की सुविधाएं आईएमएससी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ईएचटीपी/एसटीपी में इकाइयों के लिए उपलब्ध होंगी। तथापि, ईओयू और एसईजेड इकाइयों के बीच सुविधाओं को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी"।

डीसी की सिफारिशें : डीसी ने प्रस्ताव को अग्रेषित कर दिया है।

4.4 (15) मैसर्स मैडग्नोम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत एक ईओयू-डीटीए बिक्री के लिए अनुमति हेतु प्रस्ताव।

बीओए ने (i) स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं (ii) तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण तथा (iii) मानव नमूनों पर आरएंडडी सेवाओं के निर्यात के लिए मैसर्स मैडग्नोम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को एफटीए के पैरा 6.16 के अध्यधीन मंजूरी दी थी जिसमें डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं थी और उसमें एफटीपी और एचबीपी में निहित अन्य प्रावधानों के अनुपालन का प्रावधान था। पांच साल के लिए अनुमानित एनएफई 1621 लाख रुपये है।

यूनिट ने दिनांक 18.06.2015 को पत्र के तहत डीईटीए बिक्री के लिए सीएसईजेड से अनुरोध किया था लेकिन सीएसईजेड ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि एलओपी को इस शर्त पर जारी किया गया था कि डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सीएसईजेड ने सूचित किया है कि इकाई ने प्रस्तुत किया है कि वे किसी भी प्रकार की रिकंडीशनिंग या मरम्मत या पुन:अभियांत्रिकी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं, इसलिए यह इकाई एफटीपी के पैरा 6.16 में निहित प्रावधानों के अधीन नहीं होगा और अनुरोध किया है कि उन्हें एफटीपी के पैरा 6.08(बी) के अनुरूप डीटीए में आपूर्ति करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

डीसी के सिफारिशें : चूंकि बीओए निर्णय पर एलओपी जारी किया गया था, इसलिए डीटीए बिक्री के लिए उनके अनुरोध को बीओए को विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया है।

डीओसी की टिप्पणियां : यह ध्यान दिया जा सकता है कि 20.02.2015 को आयोजित बैठक में बीओए द्वारा यूनिट के प्रस्ताव पर विचार किया इसमें तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण भी शामिल है जिसे एफटीपी 2009-14 के पैरा 6.16 के तहत कवर किया गया है। एफटीपी के पैरा 6.16 के अनुसार :

"ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को रिकंडीशनिंग, मरम्मत, रीमेकिंग, परीक्षण, अशांकन, गुणवत्ता में सुधार, प्रौद्योगिकी के उन्नयन और विदेशी मुद्रा में निर्यात के लिए पुन: इंजीनियरिंग सक्रियतताओं को करने के लिए बीओए की मंजूरी के साथ स्थापित की जा सकती है। तथापि, एफटीपी के अनुच्छेद 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 और एचबीपी V1 के पैरा 6.28 के प्रावधान, ऐसी गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे।"

तथापि, अन्य दो गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और मानव नमूने पर आरएंडडी सेवाएं एफटीपी के पैरा 6.16 के तहत शामिल नहीं हैं।

भाग-II

वर्ष 1996 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुरूप अनुमोदन बोर्ड का अनुसमर्थन करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत विकास आयुक्त द्वारा दिया गया अनुमोदन।

क	**जुलाई, 2014 से सितम्बर, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**सीप्ज**
ख	**अप्रैल, 2015 से अगस्त, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन शून्य है**	**आई एस ई जेड**
ग	**जुलाई, 2015 से अगस्त, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों**	**एम ई पी जेड**

	के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	
घ	**अगस्त, 2015 माह के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन**	**वी एस ई जेड**
ड.	**अप्रैल, 2015 से जून, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन शून्य है**	**एन एस ई जेड**